41

नि/1076/रीवा/2017/18416

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

Rs 30/

राकेश कुमार पिता धनेश प्रसाद, निवासी ग्राम–सिरखिनी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा (म0प्र0) ————निगराकार

बनाम्

मध्यप्रदेश शासन. ————गैरनिगराकार

अधि0 श्री राजेन्द्र तिवारी द्वारा पेश 15-12-17

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्र. 65/मूल/अ–74/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :–

1. यह कि अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 नियम व प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यह कि निगरानीकर्ता अपने स्वत्व आधिपत्य व भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 652/2 रकवा 0.323 हे. के सीमांकन हेतु तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला–रीवा के समक्ष आवेदन विधिवत् दिया, जिसमें पटवारी द्वारा 'सीमांकन करने पर नक्शे में' कम रकवा होने पर प्रतिवेदन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें यह कहा गया कि नक्शा सुधार के बाद ही सीमांकन हो पाना संभव होगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/4846

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण क्रमांक 65/अ–74/17–18 में पारित आदेश दिनांक 31–10–17 के विरूद्व यह निगरानी सीधे राजस्व मण्डल ,म0प्र0 ग्वालियर में प्रस्तुत की गई है, जबकि अपर कलेक्टर रीवा का आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत है जिसके विरूद्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को होगी । आयुक्त/अपर आयुक्त व्दारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य है, जबकि आवेदक की ओर से अपर कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 31–10–17 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो प्रचलन–योग्य एंव ग्राह्य–योग्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	